प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 428/1–18–2017/क0सेल/10/2004टीसी–2, दिनांक 12-12-2017

विषयः प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राजस्व परिषद द्वारा खतौनी में अंश निर्धारण किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अन्तर्गत खा0पू0–3 तैयार किया जा रहा है। इस पर कागज/टोनर इत्यादि की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ रही है।

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राजस्व परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खा0पू0–3 को तैयार किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार प्रतिपृष्ठ रूपये 0.75/– का व्यय संबंधित तहसील के कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण वितरण से प्रयोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से कर लिया जाये।

अतः अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

12/12/17

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।